<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 04/2022 (राजस्व अपील)
GCMS NO : 2022/26

अनवान

1. श्री रोशनलाल पिता श्री देवीलाल भील निवासी लुणावतों का खेडा तहसील झाडोल(फ.) जिला उदयपुर।
2. श्री मांगीलाल पिता श्री गुंजा जी भील निवासी लुणावतों का खेडा तहसील झाडोल(फ.) जिला उदयपुर।
3. श्री मन्नालाल पिता श्री गुंजा जी भील निवासी लुणावतों का खेडा तहसील झाडोल(फ.) जिला उदयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री वैसा पिता गुंजा वडेरा भील निवासी लुणावतों का खेडा तहसील झाडोल(फ.) जिला उदयपुर।
2. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर (राज.)

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री भुरालाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1।

<u>प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने आंवटन आदेश दिनांक 11.10.1989 अन्तर्गत प्रकरण सं. 192/88 ग्राम कंथारिया तहसील झाडोल</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक — 30-01-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा लुणावतों का खेडा तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 1327 व 1360 किता 2 रकबा 0.80 है. के आवंटन को निरस्त कराने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया [illegible] वैसा पिता गुंजा वडेरा के राजस्व ग्राम लुणावतों का खेडा, में स्थित आराजी नम्बर [illegible] रकबा 0.6400 है. व 1360 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

0.1600 है. कुल किता 2 रकबा 0.80 है. के आवंटन की गई उसे पूर्व वैसा के पिता गुंजा वडेरा के खातेदारी की 0.6400 है भूमि थी जिस पर वैसा पिता गुंजा वडेरा द्वारा काश्त की जा रही थी जिसका अंकन आवंटन के लिए प्रस्तुत आवेदन में अंकित किया हुआ है यानि कि वैसा पिता गुंजा वडेरा भूमिहिन काश्तकार नहीं था। आवेदन में आवंटन के लिए आराजी संख्या 1327 रकबा 0.6400 है. व आराजी नम्बर 1360 रकबा 0.1600 है. भूमि आवंटन कराना चाहता है, इसी आंवटन आवेदन में पटवारी हल्का कन्थारिया द्वारा अभिलिखित किया गया है कि आराजी नम्बर 1327 रकबा 0.6400 है. व अराजी संख 1360 रकबा 0.1600 है. भूमि आवंटन कराना चाहता है, प्रार्थी का आराजी संख्या 1327 रकबा 0.6400 है. व आराजी सं. 1360 रकबा 0.1600 है. भूमि पर कब्जा नहीं होकर मौके पर पडत है। आवंटित भूमि का विपक्षी को कभी भी कब्जा सिपूर्द नहीं किया गया है, शुरू से ही उक्त भूमि खूले रूप में पानी के प्राकृतिक बहाव के नाले के रूप में प्रयोग आ रही है तथा आने जाने के रास्ता भी बना हुआ है। वैसा के आवंटन के समय 4 सन्तान प्रकाश, रतन , राजेन्द्र व फुली थी। आ.न. 1327 रकबा 0.6400 है. भूमि का मौके पर 700 मीटर लम्बा नाला है तथा उक्त आराजी में जन चेतना संस्था द्वारा वर्ष 2003–2004 में एनिकट का निर्माण कराया हुआ है। आवंटी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं न ही कभी मौके पर आया है। न ही विकसित किया है आज भी भूमि मौके पर पडत है।

भूमि के आवंटन के पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी नहीं की गई विपक्षी को किया गया आवंटन नियमों के विरूद्ध है। आवंटन के पूर्व वैसा के खातेदारी की खाता सं. 98 कुल रकबा 0.6400 है. भूमि थी जिस पर काश्त की जा रही थी। वैसा भूमिहित काश्तकार नहीं था। आराजी नम्बर 1327 रकबा 0.6400 है. भूमि पर मौके पर 700 मीटर लम्बा नाला बना हुआ है। कन्थारिया तालाब से खेडा तालाब होते हुए पानी का प्राकृतिक बहाव का पानी आना है बहाव क्षेत्र होकर नदी नाला की भूमि है। ऐसी स्थिति में भूमि आवंटन योग्य नही थी तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है ऐसी भूमि जो नदी तालाब पेटे की है तथा पानी के बहाव क्षेत्र को बाधित कराती है वह आवंटन नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। विपक्षी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। आवंटन आदेश में वर्णित शर्त संख्या 6 के अनुसार आवंटी के तीन से अधिक सन्तान है। आवंटन कमेटी के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा भी भूमि नाले की होते हुए भी भूमि आंवटन योगय होने की रिपोर्ट मात्र आवंटी को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से की गई है जो आवंटन शर्तो का उल्लंघन है। आवंटन आदेश धोखे व मिसरिप्रेजन्टेशन करते हुए कराया गया है तथा ऐसा किया गया आवंटन स्वतः ही निरस्तनीया है। आवंटन से पूर्व ओक्युपाईड [illegible] क्युपाईड भूमि की सूचि तैयार नहीं की गयी, जबकि ऐसी सूचि तैयार की जाना आवश्यक था। उक्त भूमि जो नदी नाले की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

है फिर भी आवंटन नियमों के घोर उल्लंघन करते हुए आवंटन नियमों से परे जाकर कथित आवंटन किया है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 1 वैसा पिता गुंजा वडेरा को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे अन्य सहायता जो न्यायालय उचित समझे दिलायी जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता रमेश नन्दवाना द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षी आवंटन के समय भूमिहिन काश्तकार की श्रेणी में आता था इस भूमि पर किसी का कब्जा नहीं था और नियमों के अधीन आवंटन का पात्र होने के कारण उसे भूमि का आवंटन किया गया है। भूमि पर विपक्षी का ही कब्जा चला आ रहा है एवं भूमि पानी के प्राकृतिक बहाव के नाले के रूप में उपयोग–उपभोग में आने का तथ्य मिथ्या अंकित किया है। विपक्षी को आवंटित भूमि में कोई नाला नहीं है वरन वह कृषि भूमि है जिस पर खेती करके विपक्षी अपनी जीविकाअर्जन करता चला आ रहा है। आवंटन वर्ष 1989 में किया गया है जिस समय सन्तानों के सम्बन्ध में किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं था और न ही इस तरह का प्रतिबन्ध आज भी है। मौके पर कोई नाला नहीं है एव न ही किसी संस्था द्वारा कोई एनिकट का निर्माण काराया गया है। विपक्षी उत्तरदाता द्वारा किसी तरह का कोई धोखा व मिसरिप्रजनटेशन नहीं किया गया है तथा विधिनुसार आवन्टन किया गया है। विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि आवंटन के पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए ही लम्बा अर्सा हो चुका है। व कानून के अनुसार खातेदारी भूमि के संबन्ध में खातेदार के सारे अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही निर्धारित किये होते हैं, और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही हो सकती है। भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पोषणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। कृषि भूमि आवंटन नियम 14(18) के अनुसार आवंटी को तीन वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है व नियम 14 के अनुसार यदि आवंटी प्रथम वर्ष में आधी तथा द्वितीय वर्ष में भूमि पर काश्त नहीं करता है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, जब तक भूमि गैर खातेदारी में है, तब तक कि 14(4) के अन्तर्गत निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। खातेदारी अधिकार पैदा होने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और न ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। प्रार्थीगण भूमि के संबन्ध में स्ट्रैन्जर (अज्ञात व्यक्ति) है जिनका भूमि से कोई लेना–देना नहीं है, न ही उनके द्वारा भूमि के आवंटन के समय आवंटन बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, न भूमि पर उनका कब्जा कभी रहा है। कानून के अनुसार स्ट्रैन्जर को किसी के हक में किया गया वैध आवंटन नि[illegible]ाने का किसी तरह का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण इस आवंटन से प्रभावित व्यक्ति नहीं है, इस कारण उन्हें प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्र प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण से विपक्षी सं. 1 को विशेष हर्जाना मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण दिया जावे। प्रकरण मे जवाब विपक्षीगण प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 192/1988 तलब की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार झाडोल से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। बहस प्रांरभ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि मौके पर नाला होकर एनीकट निर्मित है, नक्शे एवं रिपोर्ट में नाला स्पष्ट है। आ.स. 1327 से ही मूल रूप से आपत्ति है। आवंटी भूमिहीन नहीं था, चार लडके है अतः पात्रता नहीं रखता है, आवंटन आदेश के बिन्दू संख्या 6 में तीन से अधिक संतान होने पर आवंटन निरस्त होने का अंकन है। आवंटी का कब्जा नही है, कब्जा करने आये तब ध्यान में आया। आंवटन निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन 11.10.1989 को हुआ है। 34 वर्ष हो गये है। खातेदारी अधिकार मिलने के बाद इस न्यायालय को अधिकार नहीं है आवंटन समिति ने आवंटन किया है पूर्व में भी पटवारी ने नदी, नाला नहीं बताया तथा मै वहां खेती कर रहा हूं एनीकट किसने बनाया है? रिपोर्ट बनावटी है एक भी जिंस गिरदावरी काश्त नहीं होने की पेश नहीं की है खसरा सार्वजनिक रूप में होता तो पहले भी आपत्ति आती। 34 वर्ष बाद के आपत्ति का कोई महत्व नहीं है। प्रतिबन्धित किस्म नहीं है जिंस गिरदावरी में हमारा कब्जा दर्ज है। वर्षो की मेहनत से काश्त योग्य की है। चार संतान होने का कोई रिकोर्ड नही है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- 2016(1) सी.डी.आर. राज. पृष्ठ 518
- आर.आर.डी. 14.02.2016 राज. बनाम जशोदा व अन्य पृष्ठ 86

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रार्थीगण का तर्क है कि आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है एवं मौके पर नाला बना हुआ है कृषि नहीं की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कलम संख्या 2(ङ) में वर्णित किया है कि वैसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

पिता गुंजा वडेरा के आवंटन के समय चार सन्तान प्रकाश, रतन, राजेन्द्र, व फुली थी तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्त संख्या 6 के अनुसार आवंटी के तीन से अधिक सन्तान है और परिवार नियोजन से सम्बन्धित उपाय नहीं अपनाये है तो भूमि आवंटन आदेश रद्द किया जाकर भूमि पुनः राज्य सरकार के कब्जे में ले ली जावेंगी ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा उक्त शर्ते की पालना नहीं करने से आवंटन निरस्तनीय है। इस बाबत् विपक्षी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार से कोई कथन नहीं किया है कि उसके तीन से अधिक सन्तान नहीं है। प्रार्थी के कथनानुसार तथ्यों को छुपाकर अथवा शर्तो की पालना नहीं करने का आरोप लगाकर आवंटन निरस्त की बात कही गई है इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय डीबी सिविल स्पेशल अपील नम्बर 1046/2008 अनवान बालकिशन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एव अन्य निर्णय दिनांक 30 मई 2008 अनुसार Rajsthan Land Revenue (Allotment of land for Agricultural Purposes) Rules, 1976, Rule 2(III-B), Proviso (a) to Sec.4(v)(d)-cancellation of allotment of land - Appellant was emplouee in Municipal Board - Secured allotment of 22 bighas 10 biswas land within Municipal area projecting himself as bonafide agriculturist in 1972- SDO cancelled allotment in 1999- Held -Merely delay in cancellation of allotment even after conferment of khatedari rights as per Rule 14(1) would not be impediment for cancellation of such allotment if the same has been obtained by exercising fraud of by concealment of fact- Appellant being an employee of Municipal Board was not bonafide agriculturist. माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय डीबी सिविल स्पेशल अपील नम्बर 370/2013 अनवान रामभरोसीलाल व अन्य बनाम रेवेन्यू बोर्ड अजमेर एव अन्य निर्णय दिनांक 27.10.2014 अनुसार Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Secs. 9 and 82- Reference by Collector for cancellation of allotment after 30 years- Abadi land was allotted to postmaster for agricultural Purposes for one year only- Accepted by Board of Revenue which was confirmed by High Court- Held- He was not a landless person, eligible for allotment of ' Abadi land'- Land was not available for allotment - No limitation Prescribed to cancel illegal allotment of Govt. land for which the allottee played fraud by misrepresenting the facts and thereafter tried to save his possession by illegal transfers- land already allotted to a satellite Hospital- Committed no illegality. माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय डीबी सिविल स्पेशल अपील नम्बर 616/2000 अनवान सोहनकुंवर बनाम रेवेन्यु बोर्ड अजमेर एव अन्य निर्णय दिनांक 31.08.2001 अनुसार Rajasthan Allotment of Land to the Landless Persons Rules, 1970, Rule [illegible] Allotment as landless person- Cancelled after acquisition of khatedari rights after expiry of a period of 10 years

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

from the date of allotment after lapse of 30 years- Held- Concealed the facts- Not disclosed the holding of her husband - Anything obtained by misrepresentation or fraud can never be sanctified- It amounts to moral, turpitude- conferment of khatedari right is only a consequential order- When basic order goes, the consequential orders have to go- No amount of time lapsed can be considered to be sufficient to confer a right on a person who perpetuated fraud. उक्त नजीरों के माध्यम से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना एवं झूठे तथ्य प्रस्तुत करने पर किया हुआ आवंटन निरस्त योग्य है। इसी क्रम में प्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया है कि मौके पर नाला बना हुआ है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार झाडोल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें बताया कि ''खसरा नम्बर 1327 नाले के रूप में स्थित है जिसकी चौडाई राजस्व नक्शें अनुसार मौके पर भी अलग–अलग है। मौके पर नाला 4 से 20 फीट (अनुमानित) तक गहरा पाया गया। खसरा सख्या 1327 के पश्चिम छोर पर पक्का एनिकट निर्मित है। उक्त खसरा में किसी प्रकार की फसल नहीं पाई गई, नाला कब्जा मुक्त है।'' ''रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1360 मूल मे से खसरा सख्या 2007 ⁄ 1360 रकबा 0.16 है. भूमि पर श्री वेसा पुत्र गुंजा काबिज होकर फसल (मिर्च) कर रखी है कुछ भाग में मकान(कच्चा) बना है। अतः रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1327 पर नाला एवं एनिकट होना जाहिर आया है एवं आराजी नम्बर 1360 के नये नम्बर 2007 ⁄ 1360 पर वैसा का मकान एवं फसल बो कर कब्जा होना जाहिर होता है।

इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नजीर 2016(1)CDR 518 Raj.(DB) Ramkaran vs state of Rajasthan.– राजस्थान भू.राजस्व (कृषि भूमि का आंवटन) नियम, 1970 – नियम 14(4) – भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का आवंटन – रद्दकरण हेतु आवेदन– जिलाधिकारी ने आवेदन स्वीकार किया और आवंटन रद्द किया– इसके विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल तक खारिज किये गये – इसके विरूद्ध रिट याचिका – स्वीकार की गई– अतः यह विशेष अपील– अभिनिर्धारित , प्रश्नगत भूमि न कोई नाडी न ही तालाब था– आवंटित भूमि विगत 15.11.1975 को नियमित किया गया था जबकि अपीलार्थी ने उसे सिर्फ 22.09.1999 को चुनौती दिया है – यह सुस्थापित विधि है कि परिसीमा की किसी अवधि के अभाव में कानूनी प्राधिकार युक्तियुक्त समय में अपनी शक्तियां प्रयोग करेगा– प्रतिवादी संख्या 2 एक भूमिहिन व्यक्ति था और पिछले 7–8 वर्षो से कथित भूमि के कृषकीय कब्जा में था और वह उक्त कृषि हेतु नियमित रूप से प्रभारे भुगतान कर रहा था– इस प्रकार प्रतिवादी तीन दशक से अधिक से भूमि को जोत रहा है और भूमि पर सुधार करने पर प्रचुर राशि व्यय किया होगा– अतः इस स्तर पर भूमि से उसे [illegible] अनुचित एवं असाम्यपूर्ण होगा– आवंटन रद्द करने का आदेश असंवहनीय है– [illegible] न्यायाधीश के आदेश में अवैधता नहीं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

यह नजीर आंशिक रूप से चस्पा है लेकिन उक्त अन्य नजीरो के विवेचन से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य नजीर आर.आर.डी. 2016 राज्य बनाम जशोदा एवं अन्य पृष्ठ 86 चस्पा नहीं होती है।

अतः उपरौक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी वैसा को वर्णित भूमि दिनांक 11.10.1989 को आवंटन हुई थी। आवंटन की शर्त संख्या 6 अनुसार तीन से अधिक सन्तान होने का प्रार्थी द्वारा जो तर्क दिया उसका विपक्षी ने कोई खण्डन नहीं किया। प्रार्थी द्वारा मौके पर नाला एवं एनिकट बना होने का कथन किया वह तहसीलदार झाडोल से प्राप्त रिपोर्ट से साबित हो चुका है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने केवल आराजी नम्बर 1327 पर ही आपत्ति जाहिर कर मौके पर नाला बना होना एवं विपक्षी का कब्जा नहीं होने का तर्क दिया है। अन्य आराजी नम्बर 1360 से बने नये नम्बर 2007/1360 रकबा 0.16 है. भूमि पर श्री वेसा पुत्र गुंजा काबिज होकर फसल (मिर्च) कर रखी है कुछ भाग में मकान(कच्चा) बना होकर वेसा का कब्जा साबित होता है। इस सम्बन्ध में आराजी नम्बर 2007/1360 पर विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर 2016(1) सीडीआर 518 भी चस्पा होती है क्योंकि प्रार्थी ने भूमि को काश्त योग्य बना लिया है। आराजी नम्बर 1327 में वैसा का कहीं कोई कब्जा नहीं होना पाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 1327 में वेसा का कब्जा नहीं होकर नाला एवं एनिकट निर्मित होने से तथा उपरोक्त वर्णित नजीरों के मध्यनजर एवं उक्त विवेचन अनुसार किया गया आवंटन निरस्त योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम लुणावतों का खेडा तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर की आराजी स. 1327 रकबा 0.6400 है. का आवटंन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार झाडोल को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर